

10⁵/₁₀

फावजा पैसा दुकानें (बाहीगारों व उनके वकीलों द्वारा) उपाधीत
गई। बार-2 आवजगाई गई। कोई उपाधीत नहीं।
बाहीगारों व उनके वकीलों का अनुपालन से मैं बार
अदालत चलाई व अदालत पैसों में एवांसेज किया उपाधीत
है। फावजा पैसों का मुगार होकर नमूने से कागज ही
तथा वक्त वकीलों को जा नोएन गठार हो। (रूप)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलपार)